न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

वाद पत्र संख्या :– 36/2019 **दायर तारीख :–** 26-06-2019

1. पूरणमल पुत्र श्री बोदूराम रूण्डला
2. बाबूलाल रूण्डला पुत्र श्री बोदूराम रूण्डला

समस्त जाति जाट निवासी ढेर की ढाणी तन जाजैकलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

— वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र सिंह } पुत्रान हरिसिंह
2. मनोज सिंह उर्फ गोलू }
3. मठनो उर्फ राजकंवर पत्नि हरिसिंह
4. रामसिंह पुत्र सुगन सिंह उर्फ छगन सिंह
5. धर्मेन्द्र सिंह उर्फ धर्मा पुत्र रामसिंह
6. सजू सिंह पुत्र रामसिंह
7. कमलेश पत्नि रामसिंह
8. दीपक सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत

धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित : श्री मदन लाल जाट, अधिवक्ता वादीगण
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8

निर्णय

निर्णय दिनांक : 02.12.2020

1. वादीगण ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बागावास चौरासी के खाता संख्या 325 के खसरा नंबर 1126 रकबा 1.1522 हैक्टेयर की खातेदारी जरिये नामान्तकरण संख्या 1079, 1080 दिनांक 20.12.2018 द्वारा वादीगण के नाम दर्ज हो चुकी है। यह है कि आराजी खसरा नंबर 1126 रकबा 1.1522 को वादीगण ने पूर्ण प्रतिफल राशि अदाकर पंजीकृत विक्रय पत्रान दिनांक 19.01.2018 द्वारा पूर्व खातेदारान सायर देवी, रतन कंवर उर्फ उर्फ रति पुत्रियान सुगन सिंह उर्फ छगन सिंह से खरीदकर खरीदशुदा भूमि का कब्जा प्राप्त किया है, उक्त विक्रय पत्रान के आधार पर उक्त आराजी खसरा नंबर 1126 रकबा 1.1522 की खातेदारी जरिये नामान्तकरण संख्या 1079, 1080 दिनांक 20.12.2018 द्वारा वादीगण के नाम दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार वादीगण खसरा नंबर 1126 रकबा 1.1522 हैक्टेयर पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। यह है कि वर्णित आराजी खसरा नंबर पर या उसके किसी भाग से प्रतिवादीगण का कभी कोई संबंध व हक अधिकार नहीं रहा है, लेकिन

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

प्रतिवादीगण, वादीगण से दुर्भावना रखते है और उन्होने वादीगण के विरूद्व एक नाजायज संगठन बना रखा है तथा वे वादीगण को हैरान व परेशान करते रहते है। यह है कि यदि प्रतिवादीगण, वादीगण को उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त से जबरन बेदखल कर देगें तो इससे वादीगण के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा, जिससे वादीगण को अकथनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकेगी। अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण व उसके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधी, स्थानापन्न वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण को उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 1126 रकबा 1.1522 हैक्टेयर वाकै ग्राम बागावास चौरासी से अथवा उसके किसी भाग से जबरन बेदखल नहीं करे तथा वादीगण को उक्त भूमि के काश्त एवं उपयोग–उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करें।

2. वाद पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 सम्यक् तामिल अनपुस्थित रहे, इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम बागावास चौरासी खाता संख्या 325 संवत् 2071–2074, फोटो प्रति विक्रय पत्र बहक बाबूलाल रूण्डला, फोटो प्रति विक्रय पत्र बहक पूरणमल जाट आदि पेश किये।
4. वादीगण की तरफ से साक्ष्य वादी में पी. डब्लू 1 बाबूलाल रूण्डला पुत्र श्री बोदूराम रूण्डला एवं पी. डब्लू 2 रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामनाथ के मुख्य शपथ पत्र परीक्षण पेश किए गए। पी. डब्लू 2 रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामनाथ, वादीगण द्वारा खरीदी गई भूमि के दोनों विक्रय पत्रों में गवाह है। पी. डब्लू 2 रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामनाथ के शपथ पत्र में कथन रहे कि खसरा नंबर 1126 रकबा 1.1522 हैक्टेयर ग्राम बागावास चौरासी भूमि पर पूरणमल वगैरह काबिज काश्त है उक्त भूमि पूरणमल वगैरह ने पूर्ण प्रतिफल राशि देकर पूर्व खातेदारान सायर देवी, रतन कवंर उर्फ रति पुत्रियान सुगन सिंह उर्फ छगन सिंह से खरीद सन 2018 में विक्रय पत्रान द्वारा कर कब्जा प्राप्त किया है। पूरणमल वगैरह भूमि पर खरीद के समय से ही काबिज काश्त है। पूरणमल वगैरह की उक्त खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण महेन्द्र सिंह वगैरह का कभी कोई संबंध नहीं रहा है।
5. बहस अधिवक्ता वादीगण की सुनी गई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वाके ग्राम बागावास चौरासी के खाता संख्या 325 के खसरा नंबर 1126 रकबा 1.1522 हैक्टेयर की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2071–2074 है। आराजी खसरा नंबर 1126 रकबा 1.1522 हैक्टेयर को वादीगण ने पूर्ण प्रतिफल राशि अदाकर पंजीकृत विक्रय पत्रान दिनांक 19.01.2018 द्वारा पूर्व खातेदारान सायर देवी, रतन कंवर उर्फ उर्फ रति पुत्रियान सुगन सिंह उर्फ छगन सिंह से खरीदकर खरीदशुदा भूमि का कब्जा प्राप्त किया है, उक्त विक्रय पत्रान के आधार पर ही आराजी खसरा नंबर 1126 रकबा 1.1522 की खातेदारी जरिये नामान्तकरण संख्या 1079, 1080 दिनांक 20.12.2018 द्वारा वादीगण के नाम दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार वादीगण खसरा नंबर 1126 रकबा 1.1522 हैक्टेयर पर बहैसियत खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

काश्तकार काबिज काश्त है। तथा उक्त दोनों विक्रय पत्रों में गवाह पी. डब्लू 2 रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामनाथ ने भी आराजी खसरा नंबर 1126 रकबा 1.1522 को वादीगण ने पूर्ण प्रतिफल राशि अदाकर पंजीकृत विक्रय पत्रान दिनांक 19.01.2018 द्वारा पूर्व खातेदारान सायर देवी, रतन कंवर उर्फ उर्फ रति पुत्रियान सुगन सिंह उर्फ छगन सिंह से खरीदकर खरीदशुदा भूमि का कब्जा प्राप्त करने की बात कही है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह साबित होता है कि आराजी खसरा नंबर 1126 रकबा 1.1522 हैक्टेयर के वादीगण ही खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कोई संबध नहीं है। तथा वादीगण, प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण का दावा डिक्री किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

7. वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की आराजी खसरा नंबर 1126 रकबा 1.1522 हैक्टेयर के कब्जे काश्त में एवं उपयोग–उपभोग मे कोई बाधा कारित नही करें या मजामहत पैदा नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर